



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर, दूरभाष : 0141-2552796

क्रमांक F.29(22)(12)/RSSB/Result_Cell/NHM_RAJMES/CHO/2025

दिनांक:- यथाहस्ताक्षर

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) सीधी भर्ती-2025 पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त विचारित सूची

बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के विभिन्न संवर्ग के लिये राजस्थान कॉन्ट्रेक्टुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 यथा संशोधित के अन्तर्गत संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एच.ओ.) सीधी भर्ती-2025 के तहत गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 3169 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 765 कुल 3934 पदों हेतु वरीयतानुसार परिणाम के साथ दो गुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु कट-ऑफ मार्क्स दिनांक 14.11.2025 को जारी किये गये थे।

इसी क्रम में गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति (ST) की महिला श्रेणी में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पूर्व में दिनांक 14.11.2025 को जारी कट-ऑफ मार्क्स के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। जिसके कट-ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है:-

(NTSP CUT OFF MARKS)

CATEGORY	CUTOFF MARKS
ST (FEMALE)	202.9118

नोट:-

- नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

सचिव

क्रमांक F.29(22)(12)/RSSB/Result_Cell/NHM_RAJMES/CHO/2025

दिनांक:- यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- निजी सहा०, माननीय समस्त सदस्य महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
- निजी सहा०, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- विशेषाधिकारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- निजी सहा०, संयुक्त सचिव (परीक्षा) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- उप सचिव (कार्मिक), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- सलाहकार (परीक्षा/विधि/नियम/गोपनीय), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।
- भर्ती प्रभारी को लेख है कि संबंधित विभाग से समन्वय कर सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की आगे की कार्यवाही करें।
- रक्षित पत्रावली।

सचिव